

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर


क्रमांक : प.1(1) वसूली / 115 / 2016-17 / 133

दिनांक : 12/8/2016

कार्यालय आदेश


पूर्व में जारी परिपत्र क्रमांक एफ.2(3) लागत/1034/459 दिनांक 05.12.2011 के निरन्तर क्रम में राजस्थान आवासन मण्डल के सभी वृत्त/खण्ड कार्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि सभी प्रकार की मांग राशि जमा कराने की अन्तिम तिथि को सार्वजनिक अवकाश/बैंक अवकाश/बैंकों में कार्य नहीं होने आदि की स्थिति में आवंटी द्वारा मांग राशि अगले कार्य दिवस को राशि जमा करायी जा सकेगी। इसे विलम्ब से राशि जमा कराना नहीं माना जायेगा तथा ऐसे प्रकरणों में ब्याज व पैनल्टी वसूलनीय नहीं होगी। उक्त आदेश दिनांक 29.07.2016 से प्रभावी माने जावेंगे।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


वित्तीय सलाहकार
राजस्थान आवासन मण्डल,
जयपुर

प्रतिलिपि :-

1. निजि सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजि सचिव-सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजि सचिव-मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल,
4. अति. मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय P & M राजस्थान आवासन मण्डल,
5. निजि सचिव-वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. उप वित्तीय सलाहकार (CRO)/वरिष्ठ लेखाधिकारी-लागत/वित्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-
9. आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-
10. राशि संग्रहण केन्द्र संख्या राजस्थान आवासन मण्डल,
11. जन सम्पर्क अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
12. संयुक्त निदेशक (एस.ए.), कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को भेजकर लेख है कि मण्डल की वेबसाइट पर डालने का श्रम करें।
13. रक्षित पत्रावली।


वित्तीय सलाहकार
राजस्थान आवासन मण्डल,